बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–01, दिनांक–

सं०सं०–01/श्रम न्याय–01/2024 श्र०सं०...../ औद्योगिक विवादों की प्रकृति और कामगारों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधिकरण का कार्य बाधित न हो। अतः दोनों औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से किसी पीठासीन पदाधिकारी के 15 दिनों से अधिक के अवकाश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में, सुनवाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए दोनों औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन पदाधिकारियों को एक–दूसरे के कार्यों, दायित्वों एवं निकासी तथा व्ययन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. उक्त के आलोक में, पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर का पद रिक्त रहने अथवा अवकाश (15 दिनों से अधिक अवकाश अवधि के लिए) में रहने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना को अपने कार्यों एवं दायित्वों के अलावे कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर के कार्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित) के निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा इसके विपरीत औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना के पीठासीन पदाधिकारी का पद रिक्त रहने अथवा अवकाश (15 दिनों से अधिक अवकाश अवधि के लिए) में रहने की स्थिति में पीठारीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने कार्यों एवं दायित्वों के अलावे कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना के कार्यों एवं दायित्वों(निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित) का अतिरिक्त प्रभार के निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

3. अतः विभागीय अधिसूचना सं० 19 दिनांक 16.07.2026 एवं शुद्धि पत्र सं० 35 दिनांक 14.08.2026 को रद्द समझा जाय।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–01/श्रम न्याय–01/2024.....49...../श्र०सं० पटना–01, दिनांक– 12/11/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण/पीठासीन पदाधिकारी सभी श्रम न्यायालय, बिहार एवं आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/11/2026

सरकार के विशेष सचिव